न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू. दिनांक	निर्णय दिनांक
257 / 2022	04.07.2022	01.06.2023

उनवान

1. विजयन्त यादव पुत्र हनुमान यादव जाति अहीर निवासी ग्राम सिलारपुर तह.नीमराना जिला अलवर हाल आबाद 10 / 973 एच आई जी फ्लेटस मालवीय नगर जयपुर।

वादी।

बनाम

1. हनुमान यादव पुत्र चन्दर जाति अहीर निवासी ग्राम सलारपुर तह0 नीमराना।
2. हेमन्त पुत्र हनुमान यादव पौत्र चन्दर जाति अहीर निवासी ग्राम सलारपुर तह0 नीमराना।
3. तृप्ती पुत्री हनुमान यादव पौत्री चन्दर जाति अहीर निवासी ग्राम सलारपुर तह0 नीमराना।
4. उपपंजीयक मॉढ़ण।
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।

:–असल प्रतिवादीगण।

6. उर्मिला पुत्री नानक उर्फ नानड जाति अहीर,
7. धंवनती पत्नी नानक उर्फ नानड जाति अहीर
8. नरेश पुत्र नानक उर्फ नानड जाति अहीर
9. विजन्द्र पुत्र नानक उर्फ नानड जाति अहीर
10. सुन्दरलाल पुत्र नानक उर्फ नानड जाति अहीर
11. सुमन पुत्री नानक उर्फ नानड जाति अहीर
12. सुशीला पुत्री नानक उर्फ नानड जाति अहीर निवासीयान ग्राम सलारपुर तह0 नीमराना।
13. दयाराम पुत्र लीलाराम जाति अहीर निवासी ग्राम सलारपुर तह0 नीमराना।
14. धर्मपाल पुत्र लीलाराम जाति अहीर निवासी ग्राम सलारपुर तह0 नीमराना।
15. महावीर पुत्र लीलाराम जाति अहीर निवासी ग्राम सलारपुर तह0 नीमराना।

तरतिबि प्रतिवादीगण।

दावा अतंगर्त धारा 88,89 व 188 189 आर0टी0एक्ट0

उपस्थितीः– 1 श्री मुकेश निभोरिया एड0 वादी की ओर से।
2 श्री मकरध्वज शर्मा एड0 प्रतिवादीगण की ओर से।

–::निर्णय::–

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. वादी ने वाद पेशकर निवेदन किया कि हाल आराजी ख.नं. 1025 / 0.86,264 / 0.09,259 / 1282 / 0.07,504 / 0.57,995 / 0.20 वाके ग्राम सलारपुर व ख.नं. 115 / 0.67,38 / 0.62 वाके ग्राम हीरागढ़ तह0 नीमराना मे 1 / 3 भाग का खातेदार काश्तकार वादी का पिता प्रतिवादी सं0 01 हनुमान यादव है। जो उक्त हक हिस्सा वादी का पैतृक एंव दादालाई है जिसमे वादी का जन्म से अधिकार है व वादी के हक हकूक निहित है। प्रतिवादी सं0 01 के परिवार का सजरा वाद मे अंकित किया जा रहा है। सजरा के मुताबिक प्रतिवादी सं0 01 के नाम दर्ज हक व हिस्से मे वादी का 1 / 4 भाग तथा 3 / 4 भाग प्रतिवादी सं0 01 लगा. 03 का है,यानि वादी का 1 / 12 हिस्सा है। लीला पुत्र चन्दर व बसंती पत्नी लीला का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके जायज वारिसान तर0प्रतिवादीगण सं 13 लगा0 15 है। तथा नानक उर्फ नानड़ पुत्र चन्दर का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान तर0प्रति0 6 लगा. 12 है। प्रतिवादी सं. 01 जो वादी व प्रति. 02 व 03 का पिता है,शराबी कबावी प्रवृति का है। जो हर समय नशे मे रहता है। जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर हो चुकी है, जो प्रतिवादी सं. 02 के प्रभाव मे आकर बाला–बाला आराजी विवादित को दिगर जगह बेचान करने की फिराक मे है। जबकि कानून पैतृक आराजी विवादित को प्रतिवादी अकेले को बेचान करने का कोई अधिकार नही है। परन्तु प्रतिवादी सं0 01 ने दिनांक 25.06.2022 को आराजी विवादित को दिगर जगह मुंतकिल करने की खुली धमकी दी है । इसलिए वादी को यह दावा पेश करना लाजिम आया है।
2. अन्त मे वादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने कि प्रार्थना कि हैः–

(क) डिक्री इस्तकरार हक बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादर फरमाई जावे कि आराजी हाल ख.नं. 1025/0.86,264/0.09,259/1282/0.07,504/0.57,995/0.20 वाके ग्राम सलारपुर तह नीमराना के 1/3 भाग से व ख.नं. 115/0.67,38/0.62 वाके ग्राम हीरागढ़ तह० नीमराना के 1/3 भाग से प्रतिवादी सं.01 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को 1/12 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे। शेष रिकॉर्ड यथावत रखा जावे।

(ख) डिक्री हु०ई०दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी ख.नं. 1025/0.86,264/0.09,259/1282/0.07,504/0.57,995/0.20 वाके ग्राम सलारपुर व ख.नं. 115/0.67,38/0.62 वाके ग्राम हीरागढ़ तह० नीमराना के हाल रिकॉर्ड मे गलत इंद्राज के आधार पर वादी को जबरन बेदलख नही करे ना ही रह बय करे,मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य अनुतोष बैय नजदीक अदालत श्रीमान हो सादीर फरमाया जावे।

3. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया । बाद तामिल प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा मे उपस्थित हो कर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया।

4. इकबाल जवाब दाव प्रस्तुत होने के पश्चात वकील वादी की बहस सुनी गई,वकील वादी ने बहस मे बताया की आराजी विवादित वादी की पैतृक आराजी है,तथा प्रतिवादी सं० 1 ने इकबाल जवाब दावा पेशकर वादी का वाद स्वीकार किया है वाद वादी बरूवे इकबाल जवाब दावा डिक्री फरमाया जावें।

5. वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। वादी ने अपने वाद की पुष्टि हेतु दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी संवत 2074—77 वाके ग्राम हीरागढ, नकल जमाबंदी संवत 2073—76 वाके ग्राम सलारपुर,नकल मिलानक्षेत्रफल संवत 2042,नकल जमाबंदी संवत 2033,नकल जमाबंदी सवत 2070—73,नकल इंतकाल सं० 24 विरासत मृतक चन्दर वाकें ग्राम हीरागढ,नकल इंतकाल सं० 19 मृतक चन्दर विरासत वाके ग्राम सलारपुर वादी द्वारा प्रस्तुत दोनों इंतकालों की नकलों से सावित है कि आराजी विवादित प्रतिवादी सं० 01 को विरासत मे प्राप्त हुई है जो वर्तमान मे प्रतिवादी सं० 01 की खातेदारी मे दर्ज है। वादी प्रतिवादी सं. 01 का पुत्र है,इसलिए आराजी विवादित मे वादी के हक हकूक निहित है। इस तथ्य को प्रतिवादीगण ने इकबाल जवाब दावे मे स्वीकार किया है। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एंव इकबाल जवाब दावे के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाना कानूनसंगत व न्यायोचित प्रतित होता है।

6. अतः आदेश है किः—

वाद वादी इस्तकरार हक बरूवे इकबाल जवाब दावा डिक्री किया जाकर वादी को आराजी हाल ख.नं. 1025/0.86,264/0.09,259/1282/0.07,504/0.57,995/0.20 वाके ग्राम सलारपुर तह नीमराना का 1/3 भाग व ख.नं. 115/0.67,38/0.62 वाके ग्राम हीरागढ़ तह० नीमराना का 1/3 भाग जो प्रतिवादी सं.01 की खातेदारी मे दर्ज है मे से वादी को 1/12 भाग का एंव प्रतिवादी सं० 01 को 1/12 भाग व प्रतिवादी सं० 02 को 1/12 भाग व प्रतिवादी सं० 03 को 1/12 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा हाल जमाबंदी से प्रतिवादी सं० 01 का नाम कलमजन किया जाकर उक्तानुसार ही 1/12 ,1/12 भाग का वादी एवं प्रतिवादी सं० 01 लगा. 03 को खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 01.06.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

01/6/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर) राज.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	रजू. दिनांक	निर्णय दिनांक
261 / 2022	04.07.2022	01.06.2023

इन्तकाल

1. विजयपाल यादव पुत्र हनुमान यादव जाति अहीर निवासी ग्राम सिलारपुर तह.नीमराना जिला अलवर हाल आबाद 10 / 373 एच आई जी फ्लेटस मालवीय नगर जयपुर।

वादी।

बनाम

1. हनुमान यादव पुत्र नन्दर जाति अहीर निवासी ग्राम सलारपुर तह0 नीमराना।
2. हेमन्त पुत्र हनुमान यादव पौत्र नन्दर जाति अहीर निवासी ग्राम सलारपुर तह0 नीमराना।
3. तृप्ती पुत्री हनुमान यादव पौत्री नन्दर जाति अहीर निवासी ग्राम सलारपुर तह0 नीमराना।
4. उपपंजीयक मॉडल।
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।

:–असल प्रतिवादीगण।

6. उर्मिला पुत्री नानक उर्फ नानड जाति अहीर,
7. धनवती पत्नी नानक उर्फ नानड जाति अहीर
8. नरेश पुत्र नानक उर्फ नानड जाति अहीर
9. विजेन्द्र पुत्र नानक उर्फ नानड जाति अहीर
10. सुन्दरलाल पुत्र नानक उर्फ नानड जाति अहीर
11. सुमन पुत्री नानक उर्फ नानड जाति अहीर
12. सुशीला पुत्री नानक उर्फ नानड जाति अहीर निवासीयान ग्राम सलारपुर तह0 नीमराना।
13. दयाराम पुत्र लीलाराम जाति अहीर निवासी ग्राम सलारपुर तह0 नीमराना।
14. धर्मपाल पुत्र लीलाराम जाति अहीर निवासी ग्राम सलारपुर तह0 नीमराना।
15. महावीर पुत्र लीलाराम जाति अहीर निवासी ग्राम सलारपुर तह0 नीमराना।

तरतीबि प्रतिवादीगण।

दावा अर्न्तगत धारा 88,89 व 188 189 आर0टी0एक्ट0

उपस्थिती:– 1 श्री मुकेश निमोरिया एड0 वादी की ओर से।
2 श्री मकरध्वज शर्मा एड0 प्रतिवादीगण की ओर से।

दिनांक: 01.06.2023

<u>–:पर्चा डिक्री:–</u>

वाद वादी इस्तकरार हक बसरे इकबाल जवाब दावा डिक्री किया जाकर वादी को आराजी हाल ख.नं. 1025 / 0.86,284 / 0.09,259 / 1282 / 0.07,504 / 0.57,995 / 0.20 वाके ग्राम सलारपुर तह नीमराना का 1 / 3 भाग व ख.नं. 115 / 0.67,38 / 0.82 वाके ग्राम हीरागढ तह0 नीमराना का 1 / 3 भाग जो प्रतिवादी सं.01 की खातेदारी मे दर्ज है मे से वादी को 1 / 12 भाग का एंव प्रतिवादी सं0 01 को 1 / 12 भाग व प्रतिवादी सं0 02 को 1 / 12 भाग व प्रतिवादी सं0 03 को 1 / 12 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा हाल जमाबंदी से प्रतिवादी सं0 01 का नाम कलमजन किया जाकर उक्तानुसार ही 1 / 12 ,1 / 12 भाग का वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 लगा. 03 को खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार ही हाल राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा।

01/6/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एंव
पदेन सहायक कलेक्टर,नीमराना